प्रति,

श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय
धार जिला धार म.प्र

1 साध्वी वर्षा अन्नपूर्णा गिरी
2 आशीष बसु
3 सोनू गायकवाड
4 राधेश्याम यादव आदि ....आरोपीगण

विषय – धार शहर स्थित हजरत बाबा कमालुद्दीन चिश्ती (र.अ.) की दरगाह में आकर उक्त असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने धार्मिक भावना को ठेस पाहुंचाने एवं बाबा की शान में अपशब्द (गुस्ताखी) कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने एवं कानून व्यवस्था को चुनौती देने व दंगा भड़काने का प्रयास करने वाले अशांति–प्रिय तत्त्वो के विरूद्ध तत्काल प्रतिबंधात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही करने बाबद।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार विनम्र निवेदन हैं कि –

1– यह कि दिनांक 09/08/2026 को सुबह के समय दरगाह परिसर में साध्वी अन्नपूर्णा गिरी सोनू गायकवाड आशीष बसु राधेश्याम यादव एवं इनके अन्य साथियों के द्वारा दरगाह परिसर में गलत नियत से प्रवेश कर अशांति फैलाने व मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया स

2– यह कि उक्त असामाजिक व्यक्तियों द्वारा दरगाह शरीफ की शान में अभद्र एवं अपमानजनंक शब्दों का प्रयोग किया गया एवं दरगाह पर चढ़ी चादर को भी हटाने का प्रयास किया गया एवं उक्त तत्वों द्वारा दरगाह को बुलडोजर से तुड़वा देंगे एक दो केस तो लगेंगे जैसे उकसावेदार एवं कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने वाली धमकियाँ दी गई उक्त तत्वों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दंगा भड़काना, दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाना और क्षेत्र की शांति को पूरी तरह से ध्वस्त करना एवं मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुंचाने का था ।

3– यह कि उक्त कृत्य पहली बार नहीं होकर इस तरह कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा दरगाह परिसर में आकर आयेदिन कई बार बाबा कमाल की दरगाह की शान में अपशब्द (गुस्ताखी) करने एवं शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा चुका जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कठोर संज्ञान नहीं लिया गया जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे है जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुँची है व समाज में भारी आक्रोश है ।

4.– यह कि वर्तमान में श्रीमान जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) महोदय द्वारा धार जिले की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 (पूर्व धारा 144) प्रभावशील कर रखी गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के उपद्रव, प्रदर्शन या शांति भंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद उक्त असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम कानून और प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा इन पर अब तक कोई ठोस व कठोर कार्रवाई न किए जाने से इनके हौसले बुलंद हैं और कानून–व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

......निरंतर 02 पर

अतः श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 09 अगस्त की इस गंभीर घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी व्यक्तियो साध्वी वर्षा अन्नपूर्णा गिरि, आशीष बसू, सोनू गायकवाड़, राधेश्याम यादव एवं इनके अन्य साथियों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगा भड़काने का प्रयास करने तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने की गंभीर धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शहर की शांति और कानून–व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।

यही निवेदन हैं।

दिनांक 11/08/2026

Asamadkhan

प्रार्थी
मुस्लिम समाज सदर
अब्दुल समद खान
Mo.-9039707796

सलंग्न

1 थाना प्रभारी, थाना धार को दिए गए पूर्व शिकायत पत्र/आवेदन की छायाप्रति (दिनांक 10/08/2026)

2 उक्त घटना का सी.सी.टीवी फुटेज की सी.डी.